[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड अधिसूचना सं.69/2019 केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 13 दिसंबर, 2019

सा.का.नि.___(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का नियम 48 का उपनियम (4) तथा एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों में बीजक तैयार करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:--

- (i) <u>www.einvoice1.gst.gov.in;</u>
- (ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
- (iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
- (iv) <u>www.einvoice4.gst.gov.in;</u>
- (v) www.einvoice5.gst.gov.in;
- (vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
- (vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
- (viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
- (ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
- (x) <u>www.einvoice10.gst.gov.in</u>.

स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइटों से माल और सेवा कर नेटवर्क, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित है, द्वारा व्यवस्थित वेबसाइट अभिप्रेत हैं।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 20/13/01/2019-जीएसटी]

(रुचि बिष्ट) अवर सचिव, भारत सरकार